

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 जनवरी 2019—पौष 25, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2019

क्र. एफ-73-01-2012-अड़तीस-3.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 15-ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची—एक में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
“3.	सहायक कुलसचिव	45	15600-39100+5400	75%	25%	-	उपाबंध 1 एवं 2 देखिए.”

No. F-73-01-2012-XXXVIII-3—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 15-C of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhinyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh State University Service Rules, 1983, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-I, for Serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
“3.	Assistant Registrar	45	15600-39100+5400	75%	25%	-	See Annexure 1 & 2.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री मिश्रा, अपर सचिव.